प्रस्ताव
17 कैद की अवधि पूरी होने के बाद मताधिकार को बहाल करता है। विधायी संवैधानिक संशोधन।

आधिकारिक शीर्षक और सारांश महान्यायवादी द्वारा तैयार किया गया

इस उपाय के टेक्स्ट को राज्य सचिवकी वेबसाइट *voterguide.sos.ca.gov* पर देखा जा सकता है।

- ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें जेल में सज़ा की अवधि के दौरान मतदान करने के अयोग्य करार दिया गया हो, के सज़ा की अवधि को पूरा करते ही, उनके मतदान करने के अधिकारों को बहाल करने के लिए राज्य संविधान में संशोधन करता है।

17

राज्य और स्थानीय सरकार पर पड़ने वाले शुद्ध राजकोषीय प्रभाव का विधायी विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- मतदाता पंजीकरण और मतपत्र सामग्री पर, काउंटी की वार्षिक लागतों में राज्य व्यापी सैकड़ों हजारों डॉलरों की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।
- मतदाता पंजीकरण कार्ड और प्रणालियों को अपडेट करने के लिए एक बारगी राज्य की लागतों को सैकड़ों हजारों डॉलरों में होने की संभावना है।

ACA 6 (प्रस्ताव 17) पर विधान मंडल द्वारा डाला गया अंतिम मतदान
(स्वीकृत प्रस्ताव अध्याय 24, 2020 का कानून)

सीनेटः	समर्थक 28	समर्थन न करने वाले 9
एसेंबली:	समर्थक 54	समर्थन न करने वाले 19

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

जेल में सज़ा काट रहे या पैरोल पर लोगों को मतदान करने की अनुमति नहीं है। राज्य का संविधान अधिकांश अमेरिकी नागरिकों जो California के नागरिक हैं और जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष है, को मतदान करने की अनुमति देता है। (वर्तमान राज्य कानून के तहत, जिन लोगों ने मतदान करने के लिए पंजीकृत किया हुआ है, उन्हें निर्वाचित कार्यालयों के लिए चुनाव में खड़े होने की अनुमति दी जाती है, जिनके लिए वे योग्य हैं।) मतदान के लिए पंजीकरण करने के लिए पात्र लोगों में वे व्यक्ति शामिल हैं जो काउंटी जेल में हैं या कम्युनिटी में काउंटी परिवीक्षा द्वारा पर्यवेक्षित हैं। हालांकि, राज्य का संविधान कुछ लोगों को मतदान करने से रोकता है, इनमें काउंटी जेल में सज़ा काट रहे या राज्य पैरोल पर होने वाले व्यक्ति शामिल हैं। (किसी गंभीर या हिंसक अपराध के लिए राज्य की जेल में सज़ा की अवधि पूरी करने के बाद लोग कुछ अवधि के लिए आमतौर पर राज्य पैरोल पर कम्युनिटी में निगरानी में रखे जाते हैं। इस समय, राज्य पैरोल पर लगभग 50,000 लोग हैं।)

काउंटी और राज्य एजेंसियों के पास मतदान-संबंधित कार्यभार है। काउंटी चुनाव अधिकारी California में अधिकांश चुनावों का प्रबंधन करते हैं। इस काम के हिस्से के रूप में, इन अधिकारियों के पास पंजीकृत मतदाताओं की सूची होती है और जिन लोगों को मतदान करने की अनुमति नहीं होती है, वे उनका पंजीकरण रद्द कर देते हैं, इनमें राज्य की जेल में सज़ा काट रहे लोग या राज्य पैरोल

पर होने वाले लोग शामिल हैं। इसके अलावा, ये अधिकारी पंजीकृत मतदाताओं को मतपत्र सामग्री प्रदान करते हैं। कुछ राज्य एजेंसियों के पास भी मतदान से संबंधित कार्यभार है। उदाहरण के लिए, राज्य सचिव मतदाता पंजीकरण कार्ड प्रदान करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पंजीकरण प्रणाली संचालित करते हैं।

प्रस्ताव

राज्य पैरोल पर होने वाले लोगों को मतदान के लिए पंजीकरण करने की अनुमति देता है। राज्य पैरोल पर होने वाले लोगों को मतदान करने के लिए पंजीकरण करने की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव 17 राज्य संविधान में परिवर्तन करता है, जिससे उन्हें मतदान करने की अनुमति मिलती है। (क्योंकि वर्तमान राज्य कानून पंजीकृत मतदाताओं को निर्वाचक कार्यालयों के लिए चुनाव में खड़े होने की अनुमति देता है, इस उपाय के परिणामस्वरूप राज्य पैरोल पर होने वाले लोग भी ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे, बशर्ते कि वो मौजूदा योग्यताओं को पूरा करते हैं जैसे कि झूठी गवाही या रिश्वतखोरी का दोषी होने की सज़ा न पा रहे होना।)

वित्तीय प्रभाव

निरंतर बढ़ रही काउंटी लागतें। प्रस्ताव 17 ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि करेगा जो चुनाव में मतदान के लिए पंजीकरण और मतदान कर सकते हैं। इससे काउंटी चुनाव अधिकारियों पर दो मुख्य तरीकों से काम का बोझ निरंतर बढ़ेगा। सबसे पहले, चुनाव अधिकारियों को राज्य पैरोल पर होने वाले लोगों के मतदाता पंजीकरण को संसाधित करना होगा जो मतदान करने के लिए पंजीकरण करते हैं। दूसरा, चुनाव अधिकारियों को राज्य पैरोल पर होने वाले लोगों को मतपत्र सामग्री भेजनी होगी जो मतदान करने के लिए पंजीकरण करते हैं। हमारा अनुमान है कि **इस कार्यभार के लिए काउंटी की वार्षिक लागतें राज्य भर में लाखों डॉलर होंगी**। वास्तविक लागत राज्य पैरोल पर उन लोगों की संख्या पर निर्भर करेगी जो मतदान करने के लिए पंजीकरण करना चुनेंगे और चुनाव के दौरान उन्हें मतपत्र सामग्री प्रदान करने की विशिष्ट लागत।

राज्य लागत में एक-बारगी बढ़ोतरी। प्रस्ताव 17 राज्य में मतदाता पंजीकरण कार्ड और सिस्टम को अपडेट करना एक-बार के लिए कार्यभार बढ़ाएगा ताकि यह दर्शाया जा सके कि राज्य पैरोल पर होने वाले कितने लोग मतदान करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। हमारा अनुमान है कि इस कार्यभार से **राज्य की एक-बारगी लागतें लाखों डॉलर में होने की संभावना है**। यह राशि राज्य के वर्तमान सामान्य निधि बजट के 1 प्रतिशत से कम है।

प्रमुख रूप से इस उपाय का समर्थन या विरोध करने के लिए बनाई गई समितियों की सूची के लिए *http://cal-access.sos.ca.gov/campaign/measures/* पर जाएं।

समिति के शीर्षस्थ 10 योगदानकर्ताओं तक पहुंचने के लिए *http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html* पर जाएं।

यदि आप इस राज्य के उपाय के संपूर्ण टेक्स्ट की एक प्रतिलिपि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो कृपया राज्य सचिव को (888) 345-2692 पर कॉल करें या आप *vigfeedback@sos.ca.gov* पर ईमेल भेज सकते हैं और आपको एक प्रतिलिपि नि:शुल्क डाक द्वारा भेज दी जाएगी।

17